

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I/एफ़ीआईव कांस्ट-1

अर्थात् भार 173 बी. एच. एच.

P.S.
(श्रीमती): C.P.S Jaipur

0204

(S. No.)

अधिवार नवरात्र अधिनिवस, 1988 (2018 के अधिनिवस संख्या 16 द्वारा संशोधित)

2

सद्वार्ताकार आधिनियम, 1988 (2018 क आधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)

12

Sections	7	12
----------	---	----

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरभियाली दिन

Date From
(दिनांक से):

07/08/2025

Time From
(समय से):

15:00 बजे

Date _____
(दिनांक): _____

11/08/2025

Entry No. (पत्रिका सं.):

100

4. Type of information (सूचना का प्रकार):

5. Place of Occurrence (वर्तमानस्थान):

1. (a) Direction and distance from P.S.

(ਭਾਗ ੧: ਪੰਨਾ ੧੫੫ ਦੇ ਪਾਠ)

WEST, 08 ~~12/11~~

Beat No. (बीट नं.):

NOT APPLICABLE

Name of P.S. (शांति का गाँव):

District(State): (जिल्हा (राज्य))

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(यदि ज्ञाना सीमा के बाहर है तो)

SANKHYA 11 JAIPUR, MAHANAGAR-II, KE BAHAR GAILRI, PARISAR

(b) Address(पत्ता):

SANKHYA 11 JALUBI MAHANGAB II KE SAMAD SAMAD

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SONU KUMAR VAISHNV
(b) Father's Name (पिता का नाम): KHEMRAJ VAISHNV

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1998
(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण) सशान कोई,
(जारी करने का स्थान):
महाराष्ट्र पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पीन):

S.No. Id Type Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	205, TELEEPADA,SHASTRI NAGAR, SHASTRI NAGAR, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TODA THEKLA, LALSOT, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष नं.):

Mobile (संवादित नं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. Name (क्र.सं.) (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1 DEEPCHAND MEENA		पिता:KANARAM MEENA 1. GOAN	GUVARDEE,CHAUMU,KALADE RA,JAIPUR
2 GULAM SAFVAN		पिता:GULAM NABEE	1. 236B,SANSAR CHANDRA ROAD,BADEE MASJID KE SAMANE,JALUPURA,JALUPUR A,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

संख्या आरजे 14 यूएल 6419 मय बालक, मय सरकारी मोटर साइकल मय निजी मोटर साइकल के लुटे कायलिय से
बॉक्स, लैपटॉप, डिस्क एवं आवश्यक टैप कायवाही से संबंधित सामान के लुटे कायलिय जयपुर से जेहि मयकारी बाहेन
निजीधक, श्री ग्यापान डैड कानि. 40, श्री मन् गार् कानि. 111, श्री नाल कानि. 218 व राजबाला म.कानि. 495 मय टैप
गुनानी, स्वतंत्र गवाहीन श्री डिमार्ग मीणा, श्री मयक टाक व परिवादी श्री मीन कुमार बैलवा व श्री रामजीलाल उप
बैपार की गई। टैप कायवाही का आयोजन किया जाकर समय करीब 1.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज
100 रुपये के 4 नोट कुल 400 रुपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को वश करने पर नियमानुसार फर्के प्रशकणी एवं सुरक्षणी नोट
परिवादी श्री मीन कुमार बैलवा द्वारा स्वतंत्र गवाहीन के समक्ष सदिरथ आरोपी को रिशत में दी जाने वाली राशि के 100-
गवाह वलब किये जाने पर श्री डिमार्ग मीणा कनिष्ठ सदिरथक एवं श्री मयक टाक वरिष्ठ सदिरथक कायलिय में उपस्थित आये।
जाने पर टैप कायवाही का निर्णय लिया जाकर दिनांक 08.08.2025 को खान एवं स-विज्ञान विभाग जयपुर से दो स्वतंत्र
आरोपी दीपचन्द मीणा ने मूलिक सिस्टम खोडने के कामाल रिनीज ऑर्डर देने के लिए 400/-रुपये में सहमत होना पाया
पुलिस थाना शांजी नगर, जयपुर से उसके मूलिक सिस्टम को खोडने व डमसे संबंधित कामालो को देने के लिए कहा तो
सत्यापन करवाया गया। रिशत मान सत्यापन के दौरान परिवादी श्री मीन कुमार बैलवा ने आरोपी दीपचन्द मीणा कानि.
श्री मीन कुमार बैलवा के साथ श्री नाल कानि. 418 को सेशन कोर्ट जयपुर परिसर जयपुर भेजकर रिशत मान का गोपनीय
दरियाफत पर पूछने पर उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया रिशत माने का पाया जाने पर परिवादी
दरिथा या उधार लेन-देन बकाया नहीं है रिपोर्ट कराता है, कानूनी कायवाही करे परिवादी श्री मीन कुमार बैलवा से मजीद
को रिशत राशि नहीं देना चाहता है और उसे दोगे दोगे रिशत लेते दूधे पकड़वाना चाहता है, मेरी दीपचन्द मीणा से कोई
मुझसे धमका कर 600 रुपये रिशत की राशि लेकर मूलिक सिस्टम खोडने की बात कह रहे हैं। मैं दीप चन्द मीणा
सामान नहीं छुड़ा पायेगा और देना आना जाना पुलिस थाना गाम्, श्री नगर में होगा तो फिर देख लेंगे। दीप चन्द मीणा
पायेगा कोर्ट में छुडाने के कामालो का काम मेरे पास है और थाना श्री मेरा ही है। मेरे बिना, मुझे 600 रुपये नहीं देगा तो यह
के नाम से 600 रुपये और माने जिस पर उमने मुझे कहा कि 600 रुपये देगा वभी न था तो से मूलिक मशीन मशीन छुडा
जाने वाले कामालो को देने के लिए और मूलिक सिस्टम मशीन व मशीन खोडने के लिए बोला तो उमने मुझसे कोर्ट के खर्च
मीणा कानि. मे मुझसे 200 रुपये कोर्ट के खर्च के नाम से ले लिये मेने उससे मूलिक सिस्टम खोडने के लिए थाने में दिये
कोर्ट के न्यायालय गया और 200 का जुर्माना भर दिया, वही पर मौजूद पुलिस थाना शांजी नगर के पुलिस कर्मी दीपचन्द
मुझे पकड़ कर मूलिक मशीन व मशीन जल कर निखा पही कर नी, जिसको छुडाने कन दिनांक 06.08.2025 को सेशन
टंकी शांजी नगर पर मेरा ओटो रिक्शा में तेज आवाज में माने बजने के कारण शांजी नगर पुलिस थाना के पुलिस कर्मियों ने
तथ्यों की गड्ड करके दूधे बताया कि ओटो रिक्शा नं. आरजे-14-पीएम 9814 चलता है कलीब एक मसाल पडले पानी की
मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है व मेरे इन्तखार है। परिवादी श्री मीन कुमार बैलवा ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अतिक
जाने के आदेश फरमाये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र
से परिवच करवाते दूधे परिवादी श्री मीन कुमार बैलवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कायवाही किये
मकान नं. 205, तेलीगाडा, शांजी नगर (बलवीर चैटान का मकान), जयपुर मोबाइल नं.
मीन कुमार बैलवा पूछ श्री बेमराल बैलवा, जालि बैलवा, उम 27 वर्ष, निवासी टोडा ठेकाला गड, नालमाड, दोसा, हाल
पुलिस थानेबाये, जयपुर नगर-प्रथम को अपने कायलिय कथ में बलाक वही पर उपस्थित व्यक्त का परिवच परिवादी श्री
महीदय, निवेदन है कि दिनांक 07.08.2025 को श्री श्री भुवन्द, अति, पुलिस अधीक्षक ने मन् नीरज गुनानी उप अधीक्षक
(प्रथम प्रार्थना पत्र(पति आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नली करे)):

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (पुलिस समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.कस नं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number	(क.सं.)	(यू.आई.डी.बी. संख्या)
-------	-------------	---------	-----------------------

10. Total value of property stolen(in Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

400.00

1	लिखे और मुद्रा	रुपये	
S.No. Property Category	Property Type (संपत्ति	Description	Value(in Rs/-) (मूल्य(रु में))

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(संबंधित संपत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नली करे)):

रखी 400 रुपये प्रतिवर्षी से श्री गुलाम साफवान को दिलवाने व निश्चिन्ता राशि के 200 रुपये श्री गुलाम साफवान से खर्च उनकी दिव्य तथा शेष में 200 रुपये रख लिये, इनमें से आप लोग आ गये। उसके बाद श्री दीपचन्द भीगा कानि. से निश्चिन्ता को दे दिया। उसके बाद पास में ही मौजूद श्री दीपचन्द जी मेरे पास आये तथा मेरे से 400 रुपये में से 200 मानने पर मैंने नगर में उसके विरुद्ध दवा प्रकटण में जम मानान को लिख काने के संबंध में 400 रुपये लेकर लिख ऑर्डर सोन कृमर दिया और सोन के आने पर 400 रुपये लेकर लिख ऑर्डर देने देने कर देने पर मैंने श्री सोन कृमर का पुलिस थाना शांखी पुलिस थाना शांखी नगर का कोर्ट ऐलमी है जिसमें मुझे सोन के मेरे पास आने के घोड़ी देर पहले मिलकर लिख ऑर्डर मुझे से पूछा जिस पर मेरे द्वारा बताने पर श्री सोन कृमर ने मेरे से अपना लिख ऑर्डर मांगा जिसे पर मैंने श्री दीपचन्द जी 400 रुपये लेने के बारे में पूछने पर श्री गुलाम साफवान ने बताया कि कोई परिस्तर की बीमारी में आकर सोन कृमर मेरे नाम मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री गुलाम साफवान से परिवारदी सोन कृमर बीमारी से कोर्ट परिस्तर की बीमारी से निश्चिन्ता राशि के दीपचन्द भीगा एवं गुलाम साफवान स्थान कोर्ट परिस्तर जयपुर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय लेकर आये। इसके पश्चात् कार्यावाही करने का निर्णय लिया गया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय देप दीम मय सरकारी वाहन व मोटोरेय श्री लिखा पढी कार्यावाही होने बैठने की समीचीन व्यवस्था उपलब्ध नदी होने के कारण ब्यूरो कार्यालय में पहुँचकर अग्रिम जानकारी कोर्ट पीडर द्वारा आदेशित उपलब्ध कराते होने कहा गया। कोर्ट परिमर में अन्त्येष्टिक थोड भाड होने तथा अग्रिम न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम स. 11 जयपुर महानगर द्वितीय की पत्र जारी किया गया। चांदी गई सूचना की साफवान को पूछताछ एवं अग्रिम अनुसंधान हेतु लिये जाने से संबंधित सूचना चाहते हेतु माननीय न्यायालय अपर सिविल नदी छूते हेतु मुनसिब हिदायत की गई एवं परिवारदी के कार्य लिख ऑर्डर संबंधित जानकारी पास करने एवं श्री गुलाम जिनकी स्वतंत्र गवाह श्री मयक टाक के पास सुरक्षित रखवाई गई तथा दोनों सदस्यगण को अपने-अपने दायों को इधर-उधर सिनी, जिनका मिलान पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्दे सुपुर्दागी नोट से कवाने पर वहीं नम्बरी नोट होने पाये गये, निश्चत राशि 200 रुपये सिनी तथा गुलाम साफवान के पढनी हुई शर्ट की सामने की बायी जेब से निश्चत राशि 200 रुपये मयक टाक से दोनों की बारी-बारी से तलाशी लिबाई गई तो दीपचन्द के पढनी हुई पेट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे पैसे में रुपये स्वयं के पास होने तथा 200 रुपये दीपचन्द के सामने पर उसके पास होने बताया। उसके पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री संबंध में बाकी रिकॉर्ड होने पायी गई। इसके पश्चात् श्री गुलाम साफवान से निश्चिन्ता राशि के बारे में पूछा तो गुलाम ने 200 देवना बताया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने सरसरी तौर पर डिजिटल वाइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड बारी को समा तो लेन-देन के होल कानि. 7340, पुलिस थाना शांखी नगर, (उत्तर) आरुक्तलय, जयपुर होने तथा आने के कोर्ट संबंधित काम काज एवं श्री कानाराम भीगा, उस 47 साल निवासी गांव गुवारही, तहसील चौम, पुलिस थाना कालाहिरा, जिला जयपुर ग्रामीण मजिस्ट्रेट कम स. 11 जयपुर महानगर द्वितीय में वर्तमान कार्यावाही होने बताया तथा दूसरे ने अपना नाम दीपचन्द भीगा संसार चन्द रोड, बही मस्जिद के सामने, जयपुर, जयपुर, माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक उसका परिचय पूछा एक ने अपना नाम श्री गुलाम साफवान पुत्र श्री गुलाम नबी, उस 43 साल, निवासी म0न0-236-बी, दिया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस दोनों व्यक्तिओं से बारी-बारी से जाया, इसके बाद दीपचन्द जी व गुलाम जी साईड में होकर मिले और बातचीत करने लगे और मैंने आपकी ईशारा कर दे दिया तथा दीपचन्द जी से न्यायिक सिस्टम छुड़वाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा मोचन आदेश है, हमसे आने से छूट अपने पास रख लिये तथा मुझे मेरे खिलाफ दवा प्रकटमा नं. 240/2025 पुलिस थाना शांखी नगर जयपुर का लिख ऑर्डर मानने पर मैंने अपने पास से निश्चिन्ता राशि के 400/-रुपये गुलाम जी दे दिये जो उन्होंने अपने दावे होय में लेकर लिनकर परिचय पूछा तो इनका गुलाम जी होने बात हुआ। जिस पर मैंने दीपचन्द जी के कहनेपर गुलाम जी के द्वारा 400 रुपये कापी गुलाम जी से लेने की और रुपये उन्ही की देने के लिए कहा जो वहीं बीमारी में गेट के पास खड़े थे, जिनसे मैंने इनका न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11, जयपुर महानगर द्वितीय का मोचन आदेश (लिख ऑर्डर) देने की ऐवज में लिख ऑर्डर की थाना शांखी नगर जयपुर में जम शुरु न्यायिक सिस्टम को छुड़ाने व माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं बीमारी में दीपचन्द जी मेरे को मौजूद मिले, दीपचन्द जी ने मुझसे मेरे विरुद्ध थपस सूचना रिपोर्ट नम्बर 240/2025 पुलिस दीपचन्द भीगा है जिनकी मैंने अभी कोन करके पूछा तो उन्होंने कोर्ट में होने बताया। जिस पर मैं कोर्ट के सामने आया, परिवारदी श्री सोन कृमर बीमारी में पट्ट शर्ट पहने हुए दो व्यक्तिों में से एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह पास पहुँचा तथा परिवारदी को पूर्व में सुपुर्दे किया हुआ डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को पास कर बंद कर सुरक्षित रखा गया। पर आस-पास खड़े सूफीम देप पाटी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन उप अधीक्षक पुलिस अपने साथ लेकर परिवारदी के के बारे में बीमारी परिस्तर से अपने सिरे पर होय फरकर आरोपी द्वारा निश्चत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने हिदायतानुसार स्थान कोर्ट परिस्तर न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम स. 11 जयपुर महानगर सिविल न्यायाधीश अपर सिविल न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक पुलिस को पूर्व करने लगे। इसके पश्चात् समय करीब 2.18 पीएम पर परिवारदी श्री सोन कृमर बीमारी में मन उप अधीक्षक पुलिस की पूर्व अधीक्षक पुलिस मय देप पाटी के सदस्यों सहित अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कोर्ट परिस्तर में परिवारदी के ईशारे का इंतजार करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने देप पाटी की मुकाम ईशारा काने की परिवारदी को हिदायत दी गई तथा मन उप रवाना होकर स्थान कोर्ट परिस्तर, जयपुर पहुँचकर परिवारदी श्री सोन कृमर बीमारी की आरोग्यी द्वारा निश्चिन्ता राशि पास

[illegible]

का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तदनुसार श्री गुलाम साफवान के पहली हुई शर्ट को उबरवाकर दूसरी शर्ट पहनाई जाकर तदनुसार पूर्व पहनी हुई शर्ट को सामने की बायीं जेब जिसमें रिश्त राशि 200 रुपये बरामद हुई, के जेब को उलटा कर उस शीत में डूबीकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहीन व राजीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो माफ कांच की छिछोरी में आधा-आधा डालकर मीन मोहर कर S-1, S-2 अधिक कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बनौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया तथा शर्ट की जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक संकट कपड़े की थैली में रखकर मीन मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क S अधिक कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री संयुक्त टांक के पास रखी रिश्त राशि की दोनो गवाहीन से कायबिल में बनाई गई फई फेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहीन ने वो ही 100-100 रुपये के 4 नोट कुल 400 रुपये बताये। उक्त बरामद शर्ट 400/- रिश्त राशि नोटों को एक संकट कागज के साथ नथी कर मीन मोहर किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये, साथ ही परिवारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 240/2025 पुलिस थाना शाही नगर जयपुर में जम शर्दा म्यूजिक सिस्टम को छोड़ने व माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11, जयपुर महानगर द्वितीय का मोचन आदेश (रिलिज ऑर्डर) दिनांक 06.08.2025 को पास कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त समस्त कार्रवाही की फई हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्त राशि शीत के हस्ताक्षर करवाये गये। तदनुसार आरोपी दीपचन्द मीणा का नि. व आरोपी श्री गुलाम साफवान से पूछताछ की जाकर पुष्पक-पुष्पक पूछताछ नोट तैयार किया गया। उस पश्चात दीपचन्द मीणा का नि. की रिश्त मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त रिश्त नी-देन वार्ता परिवारी व आरोपी दीपचन्द मीणा के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत नोटिस दिये जाने पर आरोपी दीपचन्द मीणा का नि. ने अपनी नमूना आवाज देने से स्पष्ट इकार किया। गुलाम साफवान की वक्त रिश्त नी-देन परिवारी व आरोपी गुलाम साफवान ने अपनी नमूना आवाज का देने से स्पष्ट इकार किया। आरोपी दीपचन्द मीणा का नि. व श्री गुलाम साफवान के विरुद्ध अपराध अनर्गल धारा 7, 12 धारा निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर दीपचन्द मीणा का नि. एवं आरोपी गुलाम साफवान को पुष्पक-पुष्पक जरिये फई निरामनार किया गया। इसके पश्चात परिवारी श्री सोन कुमार वैष्णव की आरोपी श्री दीपचन्द मीणा का नि. 7340 के मध्य रिश्त राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार परिवारी श्री सोन कुमार वैष्णव की आरोपी श्री दीपचन्द मीणा का नि. 7340 एवं आरोपी श्री गुलाम साफवान वार्ता तैयार परिवारी श्री सोन कुमार वैष्णव की आरोपी श्री दीपचन्द मीणा का नि. 7340 एवं आरोपी श्री गुलाम साफवान से पूछताछ की जाकर फई नमूना मीन की फई पुष्पक से तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। घटनास्थल कार्रवाही पर काम में ली गई नमूना मीन की फई पुष्पक से तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। घटनास्थल मोहर कर कपड़े की थैली पर मार्क MC अधिक कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त समस्त कार्रवाही पर काम में ली गई नमूना मीन की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहीन व परिवारी के समक्ष निरीक्षण कर परिवारी की निगाहों से घटनास्थल का नक्शा मीका पुष्पक से तैयार कर शासित पत्रावली किया गया। उपरोक्त समूर्ण कार्रवाही एवं अब तक उजागर हुए तथ्यों से परिवारी सोन कुमार वैष्णव के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 240/2025 पुलिस थाना शाही नगर जयपुर में जम शर्दा म्यूजिक सिस्टम को छोड़ने व माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11, जयपुर महानगर द्वितीय का मोचन आदेश (रिलिज ऑर्डर) देने व पुलिस थाने से जम शर्दा म्यूजिक सिस्टम स्वीकर मशीन को छोड़ने की निवेदन में आरोपी दीपचन्द मीणा का नि. 7340, पुलिस थाना शाही नगर, (उत्तर) आयुक्तानय, जयपुर द्वारा परिवारी श्री सोन कुमार वैष्णव से दिनांक 07.08.2025 को 400 रुपये रिश्त राशि लेना नय कर दिनांक 08.08.2025 को रैप कार्रवाही के दौरान आरोपी दीपचन्द मीणा का नि. 7340, पुलिस थाना शाही नगर, (उत्तर) आयुक्तानय, जयपुर द्वारा परिवारी श्री सोन कुमार वैष्णव से दिनांक 07.08.2025 को 400 रुपये रिश्त राशि लेना नय कर दिनांक 08.08.2025 को रैप कार्रवाही के दौरान आरोपी दीपचन्द मीणा से परिवारी श्री सोन कुमार वैष्णव से आरोपी श्री गुलाम साफवान वरुथ शीत कर्मचारी न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-11, जयपुर महानगर द्वितीय को दिनांक, जो गुलाम साफवान द्वारा पास किये गये एवं परिवारी की मोचन आदेश (रिलिज ऑर्डर) दे दिया, उक्त राशि में से दीपचन्द मीणा द्वारा रिश्त राशि के 200 रुपये श्री गुलाम साफवान से पास किये गये। शेष रिश्त राशि के 200 रुपये गुलाम साफवान ने स्वयं के पास रख लिये। आरोपी दीपचन्द मीणा एवं आरोपी गुलाम साफवान द्वारा आपसी मिली भाव कर परिवारी सोन कुमार वैष्णव से रिश्त राशि 400 रुपये बतौर रिश्त पास करना एवं उक्त राशि में से आपस में 200-200 रुपये बांटेकर रखने का कथे अनर्गल धारा 7, 12 धारा निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कांतिन किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी 1-श्री दीपचन्द मीणा पुष्पक श्री कानाराग मीणा उम्र 47 साल, जति मीणा, निवासी गौर गुराड़ी, पुलिस थाना कालाहरी, तहसील चौम, जिला जयपुर ग्रामीण जिल का नि. 7340 पुलिस थाना शाही नगर जयपुर उतर जयपुर 2-श्री गुलाम साफवान उम्र 43 वर्ष, जति कायमखानी मुसलमान, निवासी प्लॉट नं. 236बी, संमार बन्द रोड, बड़ी मस्जिद के सामने, जयपुर जिल जयपुर जिल वरुथ शीत कर्मचारी न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 11 जयपुर महानगर द्वितीय, बनीयाक जयपुर के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में निना

1.I.F./एसीकैव जीव फाई-1

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गई कार्रवाई: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख द्वारा के वरत है):

(112) JO

Chhotee Lal Meena
Rank (पद):
निरीक्षक

: (பெரிய கட்டிடம்)

10) (12 '12) 21 10 12 12

(4) Transferred to P.S.(श्रीराम):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण है)।

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(प्रकाशितकर्ता / प्रकाशक) का नाम और पता लिखिए।
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad
Sharma
Location: Rajasthan, India
Date: 14/08/2025

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
No(सं.):

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में भेजण की तिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (यह सूचना रिपोर्ट के भग 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(शरीर / शरीर की शारीरिक विशेषताएँ, विकृति और अन्य विवरण : (यदि गाना / देखा गया))

S.No.(सं.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बावड)	Height(cms.) (कहाँ.सी.)	Complexion (रंग)	Identification Marks (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
Male	1978					
2	Male	13/12/1981				
Deformities/ Peculiarities (विकृति/विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनार)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Bum Mark (जहाँ छूँ का चिह्न)	Leucoderma (बकल रोग)	Mole (मकला)	Scar (खर)	Tattoo (जहाँ छूँ का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता शरीर / शरीर के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)